न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. 23/2022
जीसीएमएस 2022/366

1. स्वदेश कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 71 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज

–प्रार्थी

बनाम

1. अमरीक सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 44 जीजी तहसील करणपुर वर्तमान 72 एनपी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. कुलवीर कौर पत्नी बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 16 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. गुरदयाल सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी 44 जीजी तहसील करणपुर वर्तमान 72 एनपी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. गुरविन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 44 जीजी तहसील करणपुर वर्तमान 72 एनपी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
5. मलकीतसिह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 44 जीजी तहसील करणपुर वर्तमान 72 एनपी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
6. राजकौर पत्नी गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 72 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
7. लखिविन्द्र सिह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 44 जीजी तहसील करणपुर वर्तमान 72 एनपी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री रणवीर सिंह बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री किशोर बारूपाल, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 से 7

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की चक 72 एनपी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 78 के मु.नं. 43 कि.नं. 4,7,14,17 प्रत्येक 0.253है. व कि.नं. 23/1/0.234है. व कि.नं. 24/1/0.136है कुल 1.382है. नहरी भूमि खातेदारी हैं। कि.नं. 4 में टयूबवेल लगा हुआ हैं। एवं इसी चक के खाता सं. 49 के मु.नं. 29 के कि.नं. 22/0.228, 23/0.228, 24/0.228, 25/1/0.101 कुल 0.785है. भूमि प्रार्थी की खातेदारी हैं। प्रार्थी मु.नं. 43 कि.नं. 4 में बने टयूबवेल से पानी 8 इंची भूमिगत पाईप [illegible] मु.नं. 29 के कि. नं. 24 में ले जाना चाहता हैं। इसके लिए अप्रार्थीगण की भूमि चक 72 एनपी [illegible] कि.नं. 24,17,14,7,4 में से तीन फुट गहरी पूर्वी दिशा में [illegible] स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी[illegible] अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं जरिए अधि[illegible] निवेदन किया कि अप्रार्थीगण पाईप लाईन बिछाने के लिए सहमत हैं, अप्रार्थीग[illegible] किसी प्रकार का कोई उजर ऐतराज नहीं हैं तथा भविष्य में अप्रार्थीगण द्वारा किसे प्रकार का कोई वाद–विवाद उत्पन्न नहीं किया जायेगा। प्रार्थी को मु.नं. 41 के कि.नं. 4,7,14,17,24 के पश्चिम दिशा में पाईप लाईन बिछाने के आदेश देने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के भी हस्ताक्षर अंकित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:01 I
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष निवेदन किया कि उभयपक्ष पाईपलाईन बिछाने हेतु सहमत हैं किसी प्रकार को कोई विवाद नहीं हैं। अप्रार्थीगण पाईपलाईन बिछाने की एवज में कोई मुआवजा भी नहीं चाहते हैं। पाईपलाईन बिछाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी को यदि अप्रार्थीगण की भूमि में से पाईपलाईन बिछाने की स्वीकृति दी जाती हैं तो कोई एतराज नहीं हैं। एवं पक्षकारान सहमत हैं। ऐसी स्थिति में पक्षकारान की सहमति आधार पर पाईपलाईन बिछाने की स्वीकृति दिया जाना उचित हैं।

अतः उक्त विवेचन एवं पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी भूमि चक 72 एनपी मु.नं. 43 कि.नं. 4 में बने ट्यूबवेल से मु.नं. 29 के कि.नं. 24 तक पानी ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि चक 72 एनपी मु.नं. 41 के कि.नं. 4,7,14,17,24 में से 3 फीट गहरी 8 ईंची पाईपलाईन पश्चिमी दिशा में बिछाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:01 IST
Reason: SelfAttested